न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./70/2019/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. छगना पुत्र नोजा जाति माली निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर	बनाम 1.उदाराम पुत्र शंकरा 2.रामचन्द्र पुत्र शंकरा 3.श्रीमती जीवणीदेवी पत्नी शंकरा 4.पुरखा पुत्र सालू जाति माली निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर 5.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 233/2013 बअनवान छगना बनाम उदाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बालाराम गोदारा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 16.11.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मुझ अपीलांट की खातेदारी कब्जे काश्त वाली खातेदारी जोत में जाने हेतु अन्य खातेदार उतरदातागण संख्या 01 से 04 के काश्तकारों की जोत में से होकर नया मार्ग खुलवाना चाहता हूं। मेरे प्रस्तावित नवीन रास्ते को 30 वर्ष से अधिक समय से रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग लेता आ रहा हूँ। यह रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता घोषित करवाने हेतु धारा 251ए रा.का.अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि पटवारी हल्का व तहसीलदार शिव ने मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2017 तैयार की थी तब तहसीलदार शिव ने अपनी मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होना अंकित नहीं किया है। जहां पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो गैर मुमकिन नाडी के रास्ते से उपरोक्त मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता अपने आप प्रमाणित हो जाती है और उपरोक्त आवश्यकता केवल अपीलांट के सुविधाजन उपयोग के लिए नहीं है, जो रिकॉर्ड में व मौका रिपोर्ट में दर्शाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण ने अपनी बहस में रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या 158, 162 में से पिछले 30 वर्षों से रास्ते का उपयोग लेने का कथन झुठा बता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 27.07.2021 को पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 107 व 151 सी पी सी वास्ते आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क रा.का.अधि. के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में संशोधन कर रास्ता स्वीकृत करने आदेश पारित करने पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत हो, अपने अभिवचनों को परिवर्तित और संशोधित करने के लिये अनुज्ञात कर सकता है और वे सभी संशोधन किए जाएगें जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। न्यायहित में माननीय न्यायालय को अभिवचनों में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 107 व

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

151 सी पी सी वास्ते आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क रा.का.अधि. के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में संशोधन करने का स्वीकार करते हुए रास्ता स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2008(1) Page 339

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 107, 151 सी पी सी वास्ते आवेदन अन्तर्गत 251 क राज. काश्त.अधि. के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में संशोधन कर रास्ता स्वीकृत करने बाबत् का लिखित जवाब पेश कर उसमें वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उतरदातागण द्वारा अभी तक किसी प्रकार का बाहामी बंटवाड़ा नहीं किया गया है। उतरदातागण के उक्त दोनों खसरों की भूमि संयुक्त खातेदारी की है उक्त दोनों खसरों पर सामलाती रूप से उतरदातागण का कब्जा है। इसलिये उक्त खसरों के बीच से रास्ता निकालने पर हम उतरदातागण को भूमि की तारबंदी करने व काश्त करने में असुविधा होगी तथा हम उतरदातागण के खसरा संख्या 162 व 158 से आगे खसरा संख्या 172 गैर मुमकिन नाडी का आगोर है जहां से रास्ता निकालना संभव नहीं है। इसलिये उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे किसी सरकारी रास्ते से नहीं मिलता है। इसके अलावा अपीलांट के रास्ते के इससे नजदीक दूरी के अन्य विकल्प चालू है। इसलिये अपीलांट द्वारा चाहा गया उक्त संशोधन सारहीन होने से प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 107, 151 सी पी सी वास्ते आवेदन अन्तर्गत 251 क राज. काश्त.अधि. के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में संशोधन के आवेदन पर बहस सुनने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि उक्त बिन्दु मौका रिपोर्ट का भाग है जिससे तय करना राजस्व ऐजन्सी का काम है। उपरोक्त प्रकार का संशोधन अपील पत्रावली की स्टेज पर करने का कोई विधि सम्मत आधार नहीं है। अतः अपीलांट का आवेदन खारिज किया जाता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई तथा मौका फर्द पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई जो विधि सम्मत नहीं है क्योंकि रास्ते के मामले में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका मुआयना किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 233/2013 बअनवान छगना बनाम उदाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए लघुतम कटाण मार्ग देने की कार्यवाही कर तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 20.12.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार लखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर